प्र.स. 37/2011 ई.डी.
तुलसीराम VS अजन्ता मार्बल

हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज
न्यायालय अपर जिला न्यायाधीश, नाथद्वारा
प्रकरण संख्या : 37/2011 ई.दी.
तुलसीराम बनाम अजन्ता मार्बल वगै.
(1/2)

नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए

आदेश दिनांक : 29.08.2025

29.08.2025

वकुलाय फरीकेन उपस्थित। विद्वान् अधिवक्ता प्रतिवादी की ओर से प्रस्तुत किये गये प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 8 नियम 1(3) सपठित धारा 151 सीपीसी पर बहस उभय पक्ष सुनी गई।

दौराने बहस विद्वान् अधिवक्ता प्रतिवादी ने अपने उक्त प्रार्थना पत्र में वर्णित तथ्यों को दोहराया और मुख्य रूप से यह कथन किया कि वादीगण द्वारा कम्पनी से रिटायडमेंट का कोई दस्तावेज पेश नहीं किया गया है। उक्त दस्तावेज प्रतिवादी द्वारा रजिस्ट्रार ऑफ कम्पनी के कार्यालय से प्राप्त कर उक्त प्रार्थना पत्र के साथ प्रस्तुत किया जा रहा है जो हस्तगत प्रकरण के निस्तारण हेतु सुसंगत है जिसे प्रकरण के न्यायोचित निस्तारण हेतु रेकार्ड पर लिया जाना आवश्यक है। यह तर्क देते हुये प्रार्थना पत्र स्वीकार कर उक्त दस्तावेज को रेकार्ड पर लिये जाने का निवेदन किया।

इसके विपरीत विद्वान् अधिवक्ता वादीगण ने मुख्य रूप से यह कथन किया कि प्रतिवादी ने उक्त प्रार्थना पत्र अत्यन्त विलम्ब से प्रस्तुत किया है जिसका कोई यथोचित कारण अपने प्रार्थना पत्र में नहीं दर्शाया है। उक्त दस्तावेज प्रकरण से किसी भी प्रकार से सुसंगत नहीं है न ही आवश्यक है। प्रतिवादी पक्ष द्वारा मात्र प्रकरण में विलम्ब कारित करने के आशय से उक्त प्रार्थना पत्र पेश किया। यह तर्क देते हुये प्रार्थना पत्र खारिज किये जाने का निवेदन किया।

उभय पक्षकारान के परस्पर विरोधी तर्कों पर मनन किया। पत्रावली का अवलोकन किया गया।

वादीगण ने हस्तगत वाद विरूद्ध प्रतिवादीगण बाबत् संविदा की विशिष्ट पालना एवं स्थाई निषेधाज्ञा हेतु प्रस्तुत किया है। प्रतिवादी पक्ष द्वारा अपने हस्तगत प्रार्थना पत्र के साथ रजिस्ट्रार ऑफ कम्पनी के कार्यालय से प्राप्त रिटायर्डमेंट का दस्तावेज पेश किया है। उक्त दस्तावेज प्रतिवादी ने दिनांक 14.08.2025 को प्राप्त होना कहा है। उक्त दस्तावेज के अवलोकन से उक्त दस्तावेज प्रकरण के निस्तारण हेतु आवश्यक व सुसंगत होना प्रतीत होता हैं।

Kmis

अपर जिला एवं सेशन न्यायाधीश
नाथद्वारा (राजसमन्द)

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज न्यायालय अपर जिला न्यायाधीश, नाथद्वारा प्रकरण संख्या : 37/2011 ई.दी. तुलसीराम बनाम अजन्ता मार्बल वगै. (2/2) **आदेश दिनांक : 29.08.2025**
	लिहाजा प्रतिवादी की ओर से प्रस्तुत उक्त प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 8 नियम 1(3) सपठित धारा 151 सीपीसी स्वीकार किया जाकर प्रतिवादी पक्ष की ओर से प्रस्तुत उक्त दस्तावेज को रेकर्ड पर लिया जाता है। पत्रावली वास्ते साक्ष्य प्रतिवादी हेतु दिनांक 10.09.2025 को पेश हो। अपर जिला एवं सेशन न्यायाधीश नाथद्वारा (राजसमन्द)